न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 16/2024

अपीलार्थी

वरदाराम पुत्र वगताजी पुरोहित, जाति–पुरोहित, निवासी–जावाल, तह. व जिला–सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थीगण

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला– सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेड़तिया, अपीलार्थी की ओर से
(2) प्रत्यर्थी की ओर से पेरोकार सरकार

–: निर्णय :– **दिनांक 24 जनवरी, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम जावाल, पटवार हल्का जावाल के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1779/13.10.2023 दिनांक 18.10.2023 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने से विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत अपील व प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन व नोटिस जारी किये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) बहस सुनी गई। बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी व उसके भाईयों के संयुक्त खातेदारी तथा कब्जा काश्त की कृषि भूमि ग्राम जावाल, पटवार हल्का जावाल, तहसील सिरोही में आई हुई है, जिसके खसरा संख्या 962, 2271/563, 2272/560, 2276/574, 2277/574, 2279/715 तथा 2280/714 कुल किता सात रकबा 5.6500 हैक्टेयर है। उक्त भूमि में कोई रास्ता नहीं है। उक्त भूमि के सम्बंध में अपीलार्थी द्वारा एक वाद सहायक जिलाधीश महोदय, सिरोही के न्यायालय में प्रस्तुत किया था, जिसके साथ ही, अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, जो प्रार्थना पत्र दिनांक 09.5.2018 को खारिज किया गया था, जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व अपील अधिकारी, पाली के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई थी, उक्त अपील को दिनांक 15.11.2018 को स्वीकार की जाकर अपीलार्थी के हक में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। यह कि माननीय न्यायलय राजस्व अपील अधिकारी पाली के आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जो स्वीकार की जाकर सहायक जिलाधीश सिरोही के आदेश दिनांक 09.5.2018 को यथावत रखा गया था। यह कि तहसीलदार, सिरोही ने माननीय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर के निर्णय की पालना में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 व 136 एल.आर. एक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी, सिरोही के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, लेकिन इसी दौरान अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर के आदेश को एस.बी. सिविल रिट संख्या 15664/2019 के जरिये चुनौती दी गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 13.12.2019 को निर्णय पारित कर राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर के आदेश को बदलते हुए यह

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

निर्णय पारित किया कि "8- Learned counsel for the respondents further informed that during the period interregnum, pursuant to direction of the trial Court, proceedings under Section 251 of the Act of 1955 have been initiated and the same are pending before the Tehsildar, Sirohi. It was also informed that an application under Section 251 A of the Act of 1955 has been preferred before the Sub Divisional Officer, Sirohi." 9- Having heard learned counsel for the parties and upon perusal of the material available on record, this Court is of the considered opinion that until and unless, an order pursuant to proceedings under Section 251 and / or 251A of the Rajasthan Tenancy Act is passed either on the basis of easementary right or on the basis of parameters prescribed under Section 251, a rightof way, claimed and sought to be enforced by the respondents (neighbouring agriculturists) cannot, as a matter of right begranted through the land of a private agriculturist, 10- Without recording any finding, even if it is presumed that the respondents can legitimately claim a right of way, they are required to take appropriate proceedings under Sections 251 and 251A of the Act of 1955. 11- In view of the above, the present writ petition is disposed of with the direction to the respondents not to interfere in petitioners' possession and pass through their land. 12- Needless to observe that the present order shall not come in the way of the concerned authorities, before whom proceedings under Section 251/251 A of the Act of 1955 are pending- The concerned Tehsildar/Sub Divisional Officer shall decide the same in accordance with law, without being influenced by the fact that this Court has granted an interim order. 13- The present interim order shall continue only till disposal of the proceedings initiated by the respondents under Section 251 A of the Rajasthan Tenancy Act. Needless to observe that thereafter. the order passed by the Sub Divisional Officer shall prevail. The concerned Sub Divisional Officer is directed to decide the application under Section 251 A of the Tenancy Act filed by the respondents. as early as possible preferably by 28.02-2020. यह कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 15664/2019 में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2019 के पैरा संख्या 11 में यह स्पष्ट निर्देश दिए गए है कि धारा 251/251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में जब तक कोई आदेश पारित नहीं होता, तब तक माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के पैरा संख्या 11 में पारित अंतरिम आदेश जारी रहेगा। यह कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट में दिनांक 13.12.2019 को आदेश पारित होने के बाद उपखण्ड अधिकारी, सिरोही, राजस्व अपील अधिकारी, पाली तथा माननीय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित निर्णय स्वतः ही उक्त आदेश में मर्ज हो जाते है तथा राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर का आदेश अस्तित्व में नहीं रहता है। राज्य सरकार व तहसीलदार, सिरोही उक्त रिट में पक्षकार संख्या 17 थे तथा रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रकरण में पैरवी की गई थी। रेस्पोडेन्ट को उक्त निर्णय के सम्बंध में भलीभांति जानकारी है कि तहसीलदार को धारा 251/251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित आदेश से पुर्व अपीलार्थी के खातेदारी की भूमि में दखल करने का कोई अधिकार नहीं है। तहसीलदार, सिरोही ने यह जानते हुए कि राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर द्वारा निगरानी में पारित निर्णय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में मर्ज कर दिया गया है, तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका में पारित आदेश के बाद

.......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * सत्यमेव जयते

राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर का निर्णय अस्तित्व में नहीं रहता है, फिर भी उपखण्ड अधिकारी, सिरोही व माननीय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर के निर्णय की पालना में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्याः 78/2019, सरकार बनाम मोहनलाल वगैरा को न्यायालय से विड्रो नहीं किया तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर का निर्णय अपास्त होने के बाद भी उपखण्ड अधिकारी, सिरोही द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में दिनांक 21.08.2023 को आदेश पारित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी, सिरोही द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 21.8.2023 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्रस्तुत एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्याः 15664/2019 वरदाराम वगैरा बनाम मोहनलाल वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2019 की अवहेलना में पारित किया गया है। उक्त रिट में पारित आदेश अनुसार अपीलार्थी की भूमि के सम्बन्ध में धारा 251/251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया गया है तथा न ही ऐसे कोई प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार, सिरोही के न्यायालय में लम्बित है, जिससे माननीय राजस्थान उच्च न्यायलय द्वारा पारित स्थाई निषेधाज्ञा आज भी यथावत जारी है। इस प्रकार से भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.), सिरोही का उक्त निर्णय दिनांक 21.8.2023 गलत व विधि विरूद्ध होने से एवं इस निर्णय को भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौती दिए जाने के बावजूद तथा विवाद लम्बित होते हुए भी तहसीलदार सिरोही द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 21.8.2023 के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण दर्ज करवाकर स्वीकृत किया गया है, जो सर्वथा गलत व विधि विरूद्ध है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम जावाल, पटवार हल्का जावाल के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1779/13.10.2023 दिनांक 18.10.2023 को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि पटवारी हल्का, जावाल द्वारा भू अभिलेख अधिकारी (एस.डी.ओ.), सिरोही द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 78/2019 अर्न्तगत धारा 131, 132 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 21.8.2023 की पालना में दायर किया गया, जिसे तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 18.10.2023 को स्वीकृत किया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि न्यायालय सहायक कलेक्टर, सिरोही द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 198/2017 अर्न्तगत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अनवान वरदाराम पुरोहित व अन्य बनाम मोहनलाल माली व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.5.2018 के अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाकर भूमिधारी तहसीलदार, सिरोही को प्रदत्त निर्देशों तथा माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.8.2019 की अनुपालना में तहसीलदार, सिरोही द्वारा लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.), सिरोही के न्यायालय में मोहनलाल पुत्र तोलाजी, जाति- माली, निवासी- जावाल व अन्य के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र धारा 131, 132 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया। जो लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.), सिरोही के न्यायालय में राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 78/2019 पर दर्ज किया जाकर बाद सुनवाई पक्षकारान उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 78/2019 में लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.), सिरोही द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.8.2023 के अनुसार प्रार्थी तहसीलदार, सिरोही का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, सिरोही को आदेश दिये गये कि प्रस्तावित रास्ते की भूमि में से प्रतिबन्धित किस्म को छोड़ते हुये शेष भूमि को राजस्व रिकार्ड में सार्वजनिक रास्ता/गै.मु. रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

......पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.), सिरोही द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 78/2019 अनवान राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही बनाम मोहनलाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21.8.2023 की पालना में पटवारी हल्का, जावाल द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1779/13.10.2023 दायर किया गया, जो तहसीलदार, सिरोही द्वारा दिनांक 18.10.2023 को स्वीकृत किया गया है। लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ), सिरोही द्वारा उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 78/2019 में पारित निर्णय दिनांक 21.8.2023 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15664/2019 में पारित आदेश दिनांक 13.12.2019 का उल्लेख किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार अपीलार्थी वरदाराम व अन्य ने न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.), सिरोही द्वारा उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 78/2019 में पारित निर्णय दिनांक 21.8.2023 के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट याचिका प्रस्तुत की है, जिसके एस.बी सिविल रिट याचिका संख्या 15255/2023 है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधुपर द्वारा उक्त एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15255/2023 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2023 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सिरोही के दिनांक 21.8.2023 के प्रभाव एवं संचालन (effect and operation) को रोका गया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर प्रकरण में तहसीलदार, सिरोही को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश की पालना करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी, अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थी आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार, सिरोही को निर्देशित किया जाता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधुपर द्वारा उक्त एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 15255/2023 में पारित आदेश दिनांक 09.11.2023 की पालना की जाना सुनिश्चित करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही * सत्यमेव जयते

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही